DCEO(IT)

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

सं0: 3/4/आई.डी./2008/एस0डी0आर0(राजस्थान) दिनांक: 19 नवम्बर, 2008

आदेश

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 में यह प्रावधान है कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से, ताकि उक्त अधिनियम की धारा 62 के अधीन असली निर्वाचकों के मताधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, मतदान के समय अपनी पहचान को सिद्ध करने के उपाय के रूप में निर्वाचकों के लिए निर्वाचक फोटो पहचान–पत्रों (ई. पी. आई. सी.) के प्रयोग के लिए उस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा प्रावधान किया जाए ; और

2. यतः, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 का नियम 28 भारत निर्वाचन आयोग को मतदान के समय निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने और उनकी पहचान सुगम बनाने के लिए राज्य की लागत पर उनके फोटोग्राफ सहित फोटो–पहचान पत्र जारी करने का निदेश देने का अधिकार देता है ; और

3. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49 ज (3) और 49 ट (2) (ख) में यह अनुबंध है कि जिस निर्वाचन–क्षेत्र के निर्वाचकों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 28 के उक्त उपबंधों के अधीन ई पी आई सी जारी किये गये है उन निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में अपना ई. पी. आई. सी. प्रस्तुत करना होगा और उनकी ओर से ई0पी0आई0सी0 प्रस्तुत करने में असफल रहने या मना करने पर वोट डालने से उन्हें मना किया जा सकता है ; और

4. यतः, उक्त अधिनियम और नियमों के उपर्युक्त उपबंधो के सामंजस्यपूर्ण और संयुक्त पठन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि मत देने का अधिकार निर्वाचक नामावली में नाम होने से ही होता है, तथापि यह निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र के प्रयोग पर भी निर्भर करता है, जहाँ राज्य की लागत पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक पहचान–पत्र जारी किया गया है, वहाँ दोनो को ही साथ–साथ प्रयोग में लाया जाना है ; और

5. यतः, भारत निर्वाचन आयोग ने एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सभी निर्वाचको को ई. पी. आई. सी. जारी करने का निदेश देते हुए 28 अगस्त,1993 को एक आदेश दिया था ; और

6. यतः, आयोग ने यह पाया है कि पिछले कुछ वर्षों से जब से ई. पी. आई. सी. जारी करने के लिए कार्यक्रम का कार्यान्वयन शुरू किया गया है, राजस्थान् के निर्वाचन--तन्त्र ने सभी संभव प्रयत्नों द्वारा छूटे हुए निर्वाचकों, को ध्यान में रखते हुए पहचान--पत्र जारी करने के लिए निर्वाचन--क्षेत्रों और इलाकों मे अनेक चक्रो को दोहराते हुए पर्याप्त संख्या में निर्वाचकों को निर्वाचन फोटो पहचान--पत्र जारी किए है ; और

7. यतः राजस्थान में निर्वाचकों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियां तैयार की जा चुकी हैं और जारी कर दी गई है ; और

8. यतः, जनवरी--मार्च, 2000 में हुए हरियाणा विधान सभा के साधारण निर्वाचनों, तथा तब से अब तक सभी साधारण तथा उप--निर्वाचनों में आयोग ने यह निदेश दिया था कि उक्त निर्वाचनों में सभी निर्वाचक जिन्हे निर्वाचक फोटो पहचान--पत्र जारी किए जा चुके है, उक्त निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय अपने पहचान--पत्र प्रस्तुत करें और उक्त निर्वाचनों में उन छूटे हुए निर्वाचकों जिन्होंने निर्वाचक फोटो पहचान --पत्र प्राप्त नहीं किए हैं, उन्हें मतदान करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि आयोग द्वारा निर्धारित किसी वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर उनकी पहचान स्थापित की जा सके ;

9. अतः, अब, सभी संबद्ध बातों और विधिक तथा तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि राजस्थान राज्य में 200 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के सभी निर्वाचकों को जिन्हे मतदाता फोटो पहचान--पत्र जारी किए गए है उन्हे 10 नवम्बर, 2008 को अधिसूचित राजस्थान राज्य से विधान सभा के लिए साधारण चालू निर्वाचन में मतदान केन्द्रो पर मत डालने और अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निर्वाचक फोटो पहचान--पत्रों को प्रस्तुत करना होगा । यदि कोई निर्वाचक अपना ई. पी. आई. सी. प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो उसकी पहचान निर्धारित करने के लिए निर्वाचक नामावली में लगे हुए फोटो पर विचार किया जाएगा । ऐसे निर्वाचकों के मामलें में जिनकी पहचान निर्वाचक नामावली में फोटो के माध्यम से नामावली में फोटो उपलब्ध न होने या स्पष्ट न होने के कारण स्थापित नहीं की जा सकती है, ऐसे निर्वाचकों को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक दस्तावेजों में कोई एक प्रस्तुत करना होगा :--

(i) पासपोर्ट

(ii) ड्राइविंग लाइसेन्स ।

(iii) आयकर पहचान–पत्र (पी.ए.एन) ।

(iv) राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचांरियो को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान–पत्र ।

(v) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको/डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक और किसान पासबुक (30.9.2008 को या इससे पूर्व खोला गया खाता) ।

(vi) 30.9.2008 को या उससे पूर्व मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों द्वारा जारी फोटो युक्त छात्र पहचान–पत्र ।

(vii) फोटोयुक्त सम्पत्ति दस्तावेज जैसे पट्टा, रजिस्ट्रीकृत विलेख आदि ।

(viii) 30.9.2008 को या उससे पूर्व जारी फोटो युक्त राशन कार्ड ।

(ix) सक्षम प्राधिकारी द्वारा 30.9.2008 को या उससे पूर्व जारी अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग फोटो युक्त प्रमाण–पत्र ।

(x) फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/ पेंशन अदायगी आदेश/ भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण–पत्र /वृद्धावस्था पेंशन आदेश/ विधवा पेंशन आदेश ।

(xi) स्वतंत्रता सेनानी फोटो युक्त पहचान–पत्र ।

(xii) 30.9.2008 को या उससे पूर्व जारी फोटो युक्त शस्त्र लाइसेंस ।

(xiii) सक्षम प्राधिकारियों द्वारा 30.9.2008 को या उससे पूर्व जारी फोटो युक्त शारीरिक विक्लांगता प्रमाण–पत्र ।

(xiv) 30.9.2008 को या उससे पूर्व सक्षम प्राधिकारी के द्वारा '**राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान**' (राजस्थान ग्रमीण रोजगार गांरटी योजना) के अधीन जारी जॉब काडर्स,

(xv) 30.9.2008 को या उससे पहले जारी फोटो युक्त अधिवास प्रमाणपत्र ।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल परिवार के मुखिया को जारी किए गए उपरोक्त वैकल्पिक दस्तावेजों को उसके परिवार के अन्य सदस्यों की पहचान के लिए तभी अनुमति दी जाएगी जबकि ऐसे सभी सदस्य एक साथ आएं और परिवार के मुखिया द्वारा पहचाने जाएं ।

आदेश से,

(के.एफ.विल्फ्रेड)
सचिव